ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान(संशोधन) नियमावली, 2015

अधिसूचना संख्या 14/एम 7–14/2014............/दिनांक..............बिहार प्राइवेट शिक्षा संस्था (अधिग्रहण) अधिनियम (बिहार अधिनियम, 11, 1987) की धारा 11 की उपधारा–1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :–** *(i)* यह नियमावली ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(ii) इसका कार्यक्षेत्र ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान तक सीमित रहेगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990 के नियम–4 का प्रतिस्थापन : ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990, का नियम–4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(4) प्रबन्ध समिति का गठन – संस्थान के लिए एक प्रबन्ध समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) मुख्यमंत्री, बिहार — अध्यक्ष

(2) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति — कार्यकारी अध्यक्ष – कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हेतु अध्यक्ष के द्वारा, शिक्षा विभाग के मंत्री सहित, ऐसे व्यक्ति का चयन किया जा सकता है, जिन्हें प्रबन्धन संस्थान के संचालन का अनुभव हो

अथवा

राज्य अथवा केन्द्र सरकार में उच्च स्तर के प्रशासन का अनुभव हो

अथवा

विधि के क्षेत्र में अनुभव हो

अथवा

सुविख्यात विद्या अनुरागी हो।

(3) निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना

(4) राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से चक्रानुक्रम से एक कुलपति, दो वर्षों की अवधि के लिए।

(5) प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो।

(6) निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।

(7) छह प्रख्यात शिक्षाविद्/प्रशासक/अन्य श्रेणी के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से मनोनीत किया जायेगा, परन्तु छह सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं एक सदस्य पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग का होना आवश्यक है।

(8) निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान– पदेन सदस्य सचिव

(9) संस्थान के प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार दो अतिरिक्त सदस्य को प्रबन्ध समिति में मनोनीत कर सकेगा।

3. **ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान नियमावली, 1990 के नियम–7 का प्रतिस्थापन** : ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990, का नियम–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा:–

अध्यक्ष / कार्यकारी अध्यक्ष के कृत्य

अध्यक्ष संस्थान की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

4. **ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990 के नियम–8(1) का प्रतिस्थापन** : ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990, का नियम–8(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

8. निदेशक के कृत्य

(i) संस्थान में एक निदेशक होगा, जो संस्थान का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। इनकी नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी। इस निमित्त ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन सदस्यों की एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा :–

(क) राज्य के विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय का कुलपति – अध्यक्ष

(ख) देश के किसी संस्थान में प्रबन्धन विषय में प्रोफेसर के पद पर दस वर्षों का अनुभव प्राप्त व्यक्ति – सदस्य

(ग) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में उच्च पद का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त पदाधिकारी – सदस्य

(ii) चयन समिति, संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय विज्ञापन के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर तथा तीन सुयोग्य व्यक्तियों की सूची की अनुशंसा, प्रबन्ध समिति को करेगी :

परन्तु, सुयोग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन से कम नामों की भी अनुशंसा की जा सकेगी। प्रबन्ध समिति, अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त कर सकेगी।

(iii) निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्षों का होगा, परन्तु पाँच वर्षों की अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्रबन्ध समिति को निदेशक के कार्यकाल को विस्तारित करने का अधिकार होगा।

5. **ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990 के** नियम–8 एवं 9 के बीच एक अन्य नियम 8(क) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जायेगा :–

8 (क). **निदेशक का पद रिक्त रहने पर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति**

किसी कारणवश निदेशक का पद रिक्त होने की स्थिति में, नियमित नियुक्ति होने तक, राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति निदेशक के पद पर की जा सकती है, जिन्हें प्रबन्धन अथवा अर्थशास्त्र विषय में प्रोफेसर के पद पर दस वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें पी0एच0डी0 की डिग्री हासिल हो, को कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्रबन्ध समिति को प्राप्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 14/एम 7–14/2014............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 14/एम 7–14/2014...874 पटना, दिनांक 5.6.2015

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को निदेशक दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव